बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांकः 11/यो०–10/2025–33 पटना, दिनांक 05/06/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

द्वाराः आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित पी० एम० श्री योजना (60:40) के तहत माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत राज्य के लिए चयनित कुल 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक सरकारी पी० एम० श्री सरकारी विद्यालयों के संचालन हेतु कैबिनेट से स्वीकृत कुल राशि ₹14,85,85,00,000 (चौदह अरब पच्चासी करोड़ पचासी लाख) रूपये मात्र के विरूद्ध विर्त्तीय वर्ष 2026–27 में भारत सरकार से स्वीकृत Mother Sanction के रूप में प्राप्त प्रथम किस्त की राशि ₹40,77,12,000/– (चालीस करोड़ सतहत्तर लाख बारह हजार) रूपये मात्र तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹27,18,08,000/– (सताईस करोड़ अठारह लाख आठ हजार) रूपये मात्र अर्थात कुल ₹67,95,20,000/– (सड़सठ करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार) रूपये मात्र राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित पी० एम० श्री योजना (60:40) के अन्तर्गत राज्य के लिए चयनित कुल 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक सरकारी पी० एम० श्री सरकारी विद्यालयों के संचालन हेतु कैबिनेट से स्वीकृत कुल राशि ₹14,85,85,00,000 (चौदह अरब पच्चासी करोड़ पचासी लाख) रूपये मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत सरकार से स्वीकृत Mother Sanction के रूप में प्राप्त राशि ₹40,77,12,000/– (चालीस करोड़ सतहत्तर लाख बारह हजार) रूपये मात्र तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹27,18,08,000/– (सताईस करोड़ अठारह लाख आठ हजार) रूपये मात्र अर्थात कुल ₹67,95,20,000/– (सड़सठ करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार) रूपये मात्र राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक–Acctts/196/2025-26-2303, दिनांक–01.05.2026 के माध्यम से पी० एम० श्री योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा SNA SPARSH Module माध्यम से स्वीकृत केन्द्रांश मद् से ₹40,77,12,000/–(चालीस करोड़ सतहत्तर लाख बारह हजार) रूपये मात्र का Mother Sanction एवं समानुपातिक राज्यांश मद् से ₹27,18,08,000/– (सताईस करोड़ अठारह लाख आठ हजार) रूपये मात्र अर्थात कुल ₹67,95,20,000/– (सड़सठ करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार) रूपये मात्र की व्यय हेतु CFMS के Web-Portal पर आवंटन (Virtual Sanction) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3. अंकनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–342, दिनांक–03.02.2026 में माध्यम से केन्द्र प्रायोजित पी० एम० श्री योजना (60:40) के अन्तर्गत राज्य के लिए चयनित कुल 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों हेतु कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कुल राशि ₹14,85,85,00,000 (चौदह अरब पचासी करोड़ पचासी लाख) मात्र

70

विरूद्ध केन्द्रांश मद् में प्राप्त ₹3,00,22,72,000/– (तीन अरब बाईस लाख बहत्तर हजार) मात्र का Mother Sanction तथा राज्यांश की राशि ₹2,00,15,14,667/– (दो अरब पन्द्रह लाख चौदह हजार छः सौ सडसठ) मात्र अर्थात कुल ₹5,00,37,86,667 (पाच अरब सैंतीस लाख छियासी हजार छः सौ सडसठ) मात्र राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया गया था, परन्तु CFMS के माध्यम से SNA SPARSH Module के अंतर्गत तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण विपत्र तैयार नहीं हो सका, जिस कारण उक्त राशि की निकासी नहीं हो सकी।

4. केन्द्र प्रायोजित पी०एम० श्री योजना अर्न्तगत राज्य के चयनित कुल 789 पी०एम० श्री माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP-2020) के अनुरूप विकसित करना, कक्षा 06वीं–12वीं के विद्यार्थियों में आधुनिक शिक्षण, कौशल, नवाचार, तकनीकी साक्षरता को बढावा दिया जायेगा।

5. इस योजना के तहत उक्त विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी, जिसके तहत् विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान किया जायेगा। साथ हीं उक्त विद्यालयों के शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान कर बेहतर शिक्षण–प्रणाली विकसित कर सकेंगे।

6. पी०एम० श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 789 पी०एम० श्री माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संचालन पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय का वहन केन्द्र एवं राज्य योजना निधि से केन्द्रांश एवं राज्यांश मद् अंतर्गत 60:40 के अनुपात में किया जायेगा। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के माध्यम से किया जाएगा।

7. इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं NEP–2020 के अनुरूप कार्य निष्पादित करना होगा। चयनित विद्यालयों में अवसंरचना का विकास और प्रशिक्षण से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ निर्धारित शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित की जायेगी। प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास, लैब, पुस्तकालय तथा ग्रीन–स्कूल सुविधाओं की अनिवार्य उपलब्धता विभाग के दिशा–निर्देशों में शामिल होंगे। उक्त विद्यालयों में प्रगति की नियमित समीक्षा शिक्षा विभाग तथा केंद्र सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर की जाएगी। निर्धारित समय–सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों की पूर्ति शत्–प्रतिशत सुनिश्चित करना चयनित एजेंसियों की प्रमुख जिम्मेवारी होगी।

8. प्रस्तावित योजना की राशि का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा लघुशीर्ष–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उपशीर्ष–0212–पी०एम०श्री योजना, विपत्र कोड–21–2202–02–109–0212, विषयशीर्ष–31.05–परिसम्पतियों के निर्माण में उपबंधित राशि कुल ₹4,10,10,00,000/–(चार अरब दस करोड़ दस लाख) मात्र अंतर्गत कुल ₹37,40,35,000/– (सैंतीस करोड़ चालीस लाख पैंतीस हजार) रूपये मात्र एवं विषयशीर्ष–31.06–सहायक अनुदान गैर–वेतन मद में उपबंधित राशि कुल ₹9,56,90,00,000/–(नौ अरब छप्पन करोड़ नब्बे लाख) मात्र अंतर्गत कुल ₹30,54,85,000/– (तीस करोड़ चौवन लाख पचासी हजार) रूपये मात्र अर्थात ₹67,95,20,000/– (सड़सठ करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार) रूपये मात्र का व्यय संगत मद् में उपबंधित राशि से होगा।

7

वित्तीय वर्ष 2026–27 में उक्त योजनान्तर्गत संगत मद् के विषय शीर्ष में कुल ₹13,67,00,00,000 (तेरह अरब सड़सठ करोड़) रूपये मात्र राशि का उद्व्यय/उपबंध प्राप्त है। उक्त उपबंधित राशि के अंतर्गत ही अधियाचित राशि की व्यय की जा रही है।

9. उक्त स्वीकृत राशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। विमुक्त की जाने वाली राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा SNA SPARSH Module के लिए निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। इस संबंध में सभी वित्तीय लेन–देन एवं भुगतान प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए संपादित की जाएगी, ताकि राशि का उपयोग पारदर्शिता एवं नियमानुसार सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त स्वीकृत राशि अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा SNA SPARSH Module के तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को CFMS के Web-Portal पर आवंटन के साथ–साथ Drawing Limit प्रदान करेंगे। यह कार्य CFMS/PFMS के माध्यम से स्थापित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

10. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शिक्षा विभाग के माध्यम से महालेखाकार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना की होगी।

11. राशि की निकासी एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत निदेशों/आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के निर्माण का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी स्थिति में न हो।

12. राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का निरंतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य परियोजना परिषद्, पटना या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जायेगा।

13. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का विचलन किसी भी अन्य मदों में नही किया जायेगा।

14. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका 05 (क) (ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है।

15. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक 05–10–2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में विभागीय आदेश एवं समय–समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि में निहित निदेशों का अनुपालन करते हुए की जाएगी।

17. उक्त योजना एवं राशि की स्वीकृति दिनांक–13.01.2026 एवं दिनांक–29.01.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्राप्त है।

18. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग की सहमति संचिका संख्या–11/यो०–10/2025 के **पृष्ठ–61/टि0 एवं दिनांक–02.06.2026** को प्राप्त है।

19. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–11/यो०–10/2025 के **पृष्ठ–64/टि0 एवं दिनांक–04.06.2026** को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक: 11/यो०–10/2025............ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:–वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक: 11/यो०–10/2025............ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं एवं विकास विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग/उप निदेशक, योजना कोषांग, शिक्षा विभाग/बजट पदाधिकारी, बजट शाखा, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा एवं आई०टी० मैनेजर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक: 11/यो०–10/2025–33 पटना, दिनांक 05/06/2026

प्रतिलिपि:– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.6.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग